

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): भोपाल शहरी P.S. (थाना): बैरागढ़ Year (वर्ष): 2019
 FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0343 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 09/05/2019 01:03 घंटे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा दं सं 1860	188
2	भा दं सं 1860	505(2)

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): मंगलवार Date from (दिनांक से): 27/11/2018 Date To (दिनांक तक): 27/11/2018
 Time Period (समय अवधि): पहर 3 Time From (समय से): 08:00 बजे Time To (समय तक): 08:15 बजे

- (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 09/05/2019 Time (समय): 01:03 बजे
 (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 084 Date and Time (दिनांक और समय): 01:03 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): Beat No. (बीट सं.): दक्षिण - पश्चिम, 1.5 कि. मी.
 (b) Address (पता): सोनू तोमर का घर शिव मंदिर के , पीछे बैरागढ़ भोपाल ,
 (c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S.(थाना का नाम):

District (State) (ज़िला (राज्य)):

- 6.

Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	श्री रामेश्वर शर्मा		पिता का नाम : श्री परमानन्द शर्मा	1. 65 पत्रकार कालोनी टी टी नगर, भोपाल, टी टी नगर, भोपाल शहरी, मध्य प्रदेश, भारत
2	श्री सोनू तोमर उर्फ मोहर सिंह		पिता का नाम : श्री खुमान सिंह तोमर	1. शिव मंदिर के पीछे, बैरागढ़ भोपाल, बैरागढ़, भोपाल शहरी, मध्य प्रदेश, भारत

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

मैं थाना बैरागढ़ भोपाल में थाना प्रभारी निरीक्षक के पद पर पदस्थ हूँ। आवेदक श्री भगवानदेव इसराणी द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत कर उसके साथ रिकार्ड वार्तालाप की पेन ड्राइव प्रस्तुत की गई

। शिकायत आवेदन की जाँच के दौरान उप.निरी. श्री आर के मिश्रा द्वारा दिनांक 31.12.2018 को आवेदक श्री भगवानदेव इसराणी, दिनांक 03.01.2019 को श्री रामेश्वर शर्मा के कथन लेखबद्ध किये गये । आवेदन जांच के दौरान सहा.उपनिरी. श्री अखिलेश त्रिपाठी द्वारा दिनांक 13.12.18 को श्री सोनू तोमर के कथन लेखबद्ध किये गये । श्री सुशील वासवानी द्वारा भी प्रथम आवेदन प्रस्तुत कर आडियो वायरल (प्रसारण) की जांच की अपेक्षा की गयी । शिकायत आवेदन की जांच पर पाया गया की दिनांक 27.11.2018 को विधान सभा चुनाव 2018 की आचार संहिता प्रभावशील थी उस दौरान श्री रामेश्वर शर्मा भाजपा प्रत्याशी द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान सोनू तोमर के मोबाइल नं.9981036357 पर फोन कर संवाद के दौरान सम्पूर्ण सिंधी समुदाय के विरुद्ध अपशब्दों का प्रयोग किया गया एवं हिन्दी सिंधी समाज के मध्य जातिगत वैमनस्य पैदा कर धार्मिक उन्माद फैलाया गया एवं अशोभनिय टिप्पणी वर्ग विशेष के लिये जिससे सम्पूर्ण सिंधी समाज में आक्रोश व्याप्त है । श्री रामेश्वर शर्मा एवं सोनू तोमर के मध्य फोन के वार्तालाप में आवाज श्री रामेश्वर शर्मा की होने की पुष्टि श्री सोनू तोमर द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर की गयी एवं उक्त वार्तालाप को सोनू तोमर ने अन्य लोगों को भी व्हाट्स ऐप पर भेजकर वायरल किया है । श्री रामेश्वर शर्मा आवाज का नमूना देने हेतु उपस्थित नहीं मिले हैं । प्रकरण में आरोपी श्री रामेश्वर शर्मा एवं श्री सोनू तोमर का क्रत्य धारा 188,505(2) भादवि का प्रथम द्रष्टया पाया जाने से पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । नकल आवेदन इस प्रकार है:- क्रं.145/सि. सें.प./2018 प्रति, श्रीमान थाना प्रभारी थाना संत हिरदाराम नगर (बैरागढ) भोपाल विषय:-श्री रामेश्वर शर्मा विधायक एवं भा.ज.पा. प्रत्याशी के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही करने बाबत महोदय, निवेदन है कि सिन्धी समुदाय एक व्यवसायिक पेशेवर एवं पढ़ा लिखा समुदाय है । श्री रामेश्वर शर्मा भा.ज.पा. प्रत्याशी चुनाव प्रचार के दौरान सिन्धी समुदाय के विरुद्ध दुष्प्रचार करते रहे तथा समाज को गालियां देकर भी संबोधित करते रहे जिसके कारण सम्पूर्ण समाज में तनाव का वातावरण व्याप्त हो चुका है तथा समाज के लोगों को अप्रिय घटना घटित न करने की हिदायत दी जा रही है । लेकिन सम्पूर्ण समाज रामेश्वर शर्मा के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करवाना चाहता है । उदाहरण स्वरूप श्री शर्मा के द्वारा संत हिरदाराम नगर (बैरागढ) निवासी श्री सोनू तोमर के मोबाइल नं.9981036357 पर निम्न अपशब्द कहे गये हैं जिसकी रिकार्डिंग है और आपके समक्ष इसी शिकायत पत्र पर रिकार्डिंग का रुपान्तरण भी प्रस्तुत है जो निम्ननुसार है रामेश्वर शर्मा सोनू, अलग हो की नहीं, रामेश्वर बोल रहा हूँ। सोनू हा भाई साहब बोलो । रामेश्वर शर्मा- भीड़ में तो नहीं हो । सोनू- नहीं नहीं भाई साहब घर पर ही हूँ । रामेश्वर शर्मा:- यार तुम मदद करो एक तो पीसी शर्मा जीत रहा है वहा लगे हमारे लोग वहां इन्टरनेल तुम्हारी मदद कर रहे हैं । अब तुम यहा जो है हिन्दी सिन्धी चलने दो (हसी के साथ) क्योंकि इन मा के लौडों से अपन सब दुखी तो है ही । सोनू भाई साहब आपने हमारे लिये क्या नुकसान कर दिया है मैं अब तक परेशान हूँ । रामेश्वर शर्मा तो तुम जरा इसको देखो यार वहा जायो यहा मदद करो सोनू चलिये ठीक है भाई साहब ठीक, ठीक, ठीक रामेश्वर शर्मा और कोई बात हो तो तुम मुझे डायरेक्ट बतायो जो हो बो बतायो सोनू हा लगाता हूँ फोन राम भाई को बोलता हूँ उपर वर्णित वार्तालाप और तथ्यों से स्पष्ट है कि श्री रामेश्वर शर्मा के द्वारा सम्पूर्ण समाज के विरुद्ध अपशब्दों का प्रयोग किया गया है जिससे समाज की छवि पर प्रभाव पड़ा है ।

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

उपरोक्त के अतिरिक्त श्री रामेश्वर शर्मा वर्ग संघर्ष कराने , धार्मिक उन्माद पैदा करने पर उतारु हो चुके हैं, जिस कारण उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही पुलिस के मार्फत कराये जानें का निवेदन है । उपरोक्त निवेदन के साथ शिकायती पत्र आपके समक्ष प्रस्तुत है । पत्र के साथ श्री सोनू तोमर का शपथ पत्र, वार्तालाप की पेन ड्राइव और अन्य संगत वार्तालाप की पेन ड्राइव भी संलग्न है । संलग्न उपरोक्तानुसार भवदीय भगवानदेव इसराणी अध्यक्ष हस्ताक्षर अस्पष्ट प्रतिलिपी श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक भोपाल रेंज की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत । भगवानदेव इसराणी अध्यक्ष

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): DINESH PRATAP SINGH (निरीक्षक)/111 or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Rank (पद):
141018482

No. (सं.): to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता /

सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

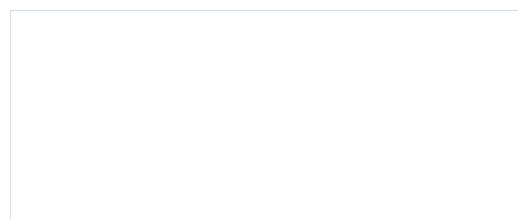
R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

थाना प्रभारी के निर्देश पर प्राथमिकी दर्ज की गई

FIR Writer (कायमीकर्ता के हस्ताक्षर)

Name (नाम):

Rank (पद):



Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): AJAY MISHRA

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 1

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष	01/01/1974		-		रक्त वर्ग काला निशान: जले का निशान: लुकोदेर्मा (सफेद धब्बे): तिल की जगह: घाव के निशान: टैटू के निशान:
2	पुरुष	01/01/1984		-		रक्त वर्ग काला निशान: जले का निशान: लुकोदेर्मा (सफेद धब्बे): तिल की जगह: घाव के निशान: टैटू के निशान:

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13
भुजाये: मुड़ी हुई टांग: बहरा / गूंगा: कान निहाई: कान विकृत: गुम कान: अतिरिक्त उंगली: गुम उंगली: कंठमाला: कूबड़ / झुकी हुई पीठ: ठक घुटने: पैर: लंगड़ाहट: पैर की अतिरिक्त अंगुली: पैर की गुम अंगुली:		बालों का रंग: बालों की कटाई: बाल डाई: बालों की लंबाई: बालों का स्टाइल: बालों का प्रकार: बालों का सीधा पन: विग का उपयोग:	नेत्रहीन: आँखे टिमटिमाना: भौंह का आकार: भौंह की मोटाई: आंखों का रंग: आंखों के प्रकार: चश्मे का प्रकार: भेंगा: चश्मे का प्रयोग:		जूते: आंतरिक तल: आंतरिक शीर्ष: बाहरी तल: बाहरी शीर्ष: मौसमी/उपसाधन तल: मौसमी/उपसाधन शीर्ष:

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

भुजाये: मुड़ी हुई टांग: बहरा / गूंगा: कान निहाई: कान विकृत: गुम कान: अतिरिक्त उंगली: गुम उंगली: कंठमाला: कूबड़ / झुकी हुई पीठ: ठक घुटने: पैर: लंगड़ाहट: पैर की अतिरिक्त अंगुली: पैर की गुम अंगुली:		बालों का रंग: बालों की कटाई: बाल डाई: बालों की लंबाई: बालों का स्टाइल: बालों का प्रकार: बालों का सीधा पन: विग का उपयोग:	नेत्रहीन: आँखे टिमटिमाना: भौंह का आकार: भौंह की मोटाई: आंखों का रंग: आंखों के प्रकार: चश्मे का प्रकार: भेंगा: चश्मे का प्रयोग:		जूते: आंतरिक तल: आंतरिक शीर्ष: बाहरी तल: बाहरी शीर्ष: मौसमी/उपसाध न तल: मौसमी/उपसाध न शीर्ष:
--	--	--	--	--	--

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma ^a (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)